

नगर परिषद अजमेर

सदुप अह्वयुषी

अजमेर नगरपालिका अधिनियम की धारा १२२ के प्रसंगत बच हस्तांतरण लिखित में न होकर प्राथम्य हुआ हो, उस समय दिने जाने वाले हस्तांतरण के अह्वयुषी अह्वयुषी नगर नरिबुद, सजमेर की सेवा में, पुत्र/कन्या एतद् द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम १९६३ के अनुच्छेद १२२ के अंतर्गत लिखित संपत्ति के हस्तांतरण की सूचना देना/देती है :-

१।

एकी नगरपालिका वलिकाओं में संपत्ति किसे नाम देना है।	यह किसके नाम हस्तांतरित की जाती है।	संपत्ति का वर्णन		निर्धारण सूची में तबका	गुणिका प्रकार	मिति
		इससे क्या प्राप्तियुक्त है	स्थिति			
		५	५	६	७	८